

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:— एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2011/3943-81 जयपुर, दिनांक 25-3-2012

अधिसूचना

जिला कलेक्टर्स से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट, सम्वत् 2068 के आधार पर राजस्थान एफेक्टिव एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई 2012 तक लागू रहेंगे:—

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	दौसा	7
2.	बीकानेर	43
3.	चूरु	688
4.	जैसलमेर	33
	योग:—	771

राज्यपाल की आज्ञा से,

M. K. C.
25/3/12
(तन्मय कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. निजी सचिव माननीय आ.प्र. एवं सहायता राज्य मन्त्री
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिलों के माननीय प्रभारी मंत्री।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), /जल संसाधान/ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर ।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर ।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर ।
10. संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
11. संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
12. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली ।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर ।
14. संबंधित सम्भागीय आयुक्त, राज. ।
15. संबंधित जिला कलेक्टर, राज0 ।
16. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर ।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण
19. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है । कृपया इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाये ।


शासन उप सचिव